[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 31 मार्च 2015

अधिसूचना

का.आ. 937 (अ) निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना जिसे पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ.संख्यांक 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तारीख 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना का और संशोधन करने के लिए जनता की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित प्रभावित होने की संभावना है, जारी करने का प्रस्ताव करती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिवसों की समाप्ति पर या उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली - 110003 पर लिखित में रूप मे डाक द्वारा या ई-मेल पते bsinha92@gmail.com इलैक्ट्रानिक रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

उक्त अधिसूचना के पैरा 8, के उप पैरा (i) में,-

(क) टिप्पण और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(ख) सी आर जेड-II से संबंधित खंड 2, में, उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) विद्यमान और प्रस्तावित सड़कों के सड़क हलके की तरफ अनुज्ञात भवन या विद्यमान प्राधिकृत संरचनाएं, फ्लोर स्पेस सूचक या फ्लोर एरिया

अनुपात जो 1991 स्तर के अनुसार होंगे, के सिवाय समय-समय पर यथा संशोधित विद्यमान स्थानीय शहर या देश के योजना विनियमनों के अध्यधीन होगी ।

परंतुक किन्हीं नई सड़कों जो विद्यमान सड़क के समुद्र हलके की तरफ सन्निर्मित की जाती है, के सड़क हलके की तरफ भवनों के सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी :

परंतु यह कि गोवा, केरल और मुंबई सी आर जेड क्षेत्र में सन्निर्माण पैरा 8 के उपबंधों के खंड (v) से शासित होंगे ।"।

[फा.सं.जे-17011/18/96-आईए-III]

(विश्वनाथ सिन्हा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ.19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात का.आ.संख्यांक 651(अ), तारीख 20 मार्च, 2011 के शुद्धिपत्र द्वारा और निम्नलिखित संशोधित किए गए :

1. का.आ.2557 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ;
2. का.आ.1244 (अ), तारीख 30 अप्रैल, 2014 ;
3. का.आ.3085 (अ), तारीख 28 नवंबर, 2014 ;
4. का.आ.383 (अ), तारीख 4 फरवरी, 2015 ; और
5. का.आ. 556 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2015 ।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA,
EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change

New Delhi, the 31st March, 2015

NOTIFICATION

S.O.937 (E). – The following draft of the notification which the Central Government proposes to be issued, in exercise of the powers conferred by sub- section(1) and clause (v) of sub- section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub- rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, further to amend the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, dated the 6th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011, Extrafor the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aligunj, New Delhi-110 003 or electronically at email address: bsinha92@gmail.com.

Draft Notification

In the said notification, in paragraph 8, in sub-paragraph (i),-

(a) the ' Note and the entries relating thereto' shall be omitted;

(b) in clause II relating to CRZ-II, for sub-clause (ii), the following sub- clause shall be substituted, namely:-

" (ii) buildings permitted on the landward side of the existing and proposed roads or existing authorised structures shall be subject to the existing local town and country planning regulations as modified from time to time, except the Floor Space Index or Floor Area Ratio, which shall be as per 1991 level;

Provided that no permission for construction of buildings shall be given on landward side of any new roads which are constructed on the seaward side of an existing road;

Provided further that the construction in CRZ-II area of Goa, Kerala and Mumbai shall be governed by the provisions of Clause V of paragraph 8."

[F. No. J-17011/18/96-IA-III]

(Bhiswanath Sinha)
Joint Secretary to Government of India

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O 19 (E), dated the 6th January, 2011 and subsequently by Corrigendum vide S.O 651(E), dated the 29th March, 2011 and amended as follows:

1. S.O. 2557 (E), dated the 22nd August, 2013;
2. S.O. 1244 (E), dated the 30th April, 2014;
3. S.O. 3085 (E), dated the 28th November, 2014;
4. S.O. 383 (E), dated the 4th February, 2015; and
5. S.O. 556 (E), dated the 17th February, 2015;